न्यायालय उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाडा

मु0न0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
03/2020	03.01.2020	17.10.2023

पीठासीन अधिकारीः– उपेन्द्र कुमार शर्मा {आर.ए.एस.}

उप जिला कलेक्टर चौथ का बरवाड़ा (स. मा.)

1. शिवप्रसाद शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा जाति ब्रहमण निवासी ग्राम शिवाड़ हाल निवासी सवाई माधोपुर

वादी

बनाम

1. गोपाल प्रसाद शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा जाति ब्राहमण निवासी शिवाड़ हाल निवासी सवाई माधोपुर
2. भवानीशंकर शर्मा पुत्र स्व0 बदरीलाल शर्मा जाति ब्राहमण निवासी शिवाड़ हाल निवासी सवाई माधोपुर
3. रघुवीर शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा जाति ब्राहमण निवासी शिवाड़ हाल निवासी सवाई माधोपुर
4. राधा पुत्री स्व0 हनुमान शर्मा जाति ब्राहमण निवासी शिवाड़ हाल निवासी सवाई माधोपुर
5. विमला पत्नि स्व0 हनुमान शर्मा जाति ब्राहमण निवासी शिवाड़ हाल निवासी सवाई माधोपुर
6. सन्तोष पुत्री स्व0 हनुमान जाति ब्राहमण निवासी शिवाड़ हाल निवासी सवाई माधोपुर
7. तहसीलदार जी तहसील चौथ का बरवाड़ा

प्रतिवादी

<u>दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती तहत दफा 88 आर0टी0एक्ट0</u>

<u>उपस्थित अभिभाषक</u>

1. श्री सुधीर कुमार जैन वकील वादी
2. श्री कपिल कुमार शर्मा प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.07.23 15:39:19 IST
Reason: SelfAttested

<u>:– नि र्ण य :–</u>

वादी ने एक दावा बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरूस्ती तहत दफा 88 आर0टी0एक्ट के तहत पेश किया है जिसका संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 मूल रूप से ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा के निवासी है। लेकिन पिछले कई वर्षो से सवाई माधोपुर आकर बस गये है। वादी के परिवार का सजरा खानदार निम्न प्रकार है।

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

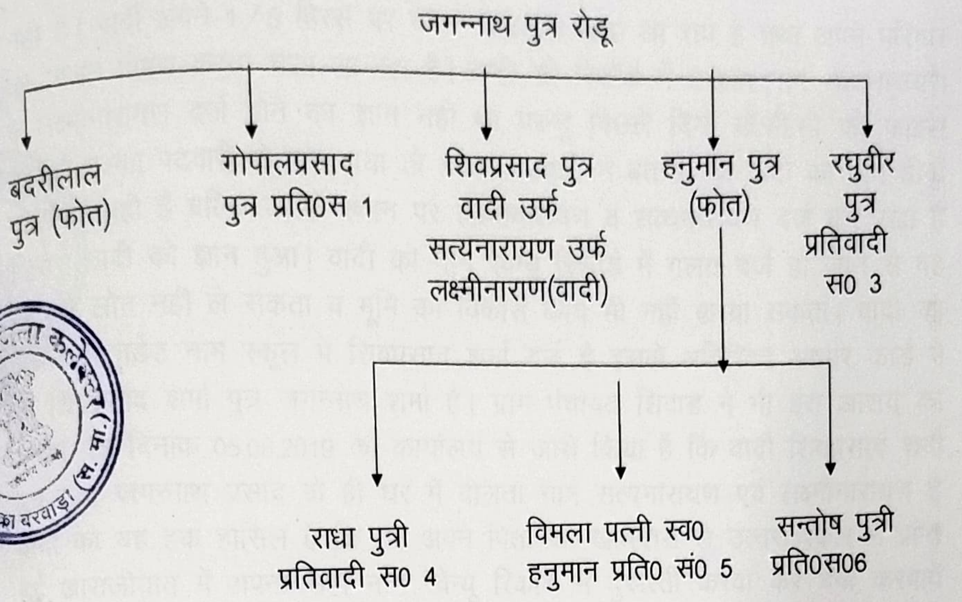

वादी ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया कि खाता संख्या 139 में दर्ज खसरा नम्बर 3778 रकबा 2.52 है0, खसरा नम्बर 3779 रकबा 0.10 है0 कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.62 है0 ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ बी तहसील चौथ का बरवाड़ं में स्थित है जो वादी के पिता स्व0 श्री जगन्नाथ जी की खातेदारी की आराजीयात थी। इस भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गलती से सत्यानारायण पुत्र जगन्नाथ हिस्सा 1/5 दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का रिकार्डेड नाम शिवप्रसाद है। इसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा प, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4,5,6 का प्रत्येक का 1/15 हिस्सा कुल 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया है। यह कि खाता संख्या 138 में दर्ज खसरा नम्बर 3033 रकबा 2.03 है0 भी ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ बी तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है इस भूमि के रिकॉर्ड में भी वादी का नाम गलती से सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ का 1/5 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। जबकि वादी का रिकार्डेड नाम शिव प्रसाद है इसमें प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 का 1/5 हिस्सा प, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4,5,6 का प्रत्येक का 1/15 हिस्सा कुल 1/5 हिस्सा दर्ज किया गया है। वादी की ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ ए तहसील चौका का बरवाड़ा में स्थित आराजीयात के खाता संख्या 126 का खसरा नम्बर 3041 रकबा 1.03 है0 स्थित है। इस रिकॉर्ड में प्रतिवादी संख्या 1,2,3 का प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज किया हुआ है। इस खाते में वादी के नाम के स्थान पर लक्ष्मीनाराण दर्ज कर रखा है तथा हिस्सा 1/5 किया हुआ है, 1/5 हिस्सा हनुमान पुत्र जगन्नाथ के नाम से दर्ज है। हनुमान जी की मृत्यु हो चुकी है परन्तु अभी तक प्रतिवादी संख्या 4,5,6 के नाम नामान्तकरण [illegible] नहीं किया गया है इसलिये प्रतिवादी संख्या 4,5,6 को [illegible] उपरोक्त वर्णित दो खातों में खाता संख्या 139 व 138 में भी प्रतिवादी संख्या [illegible] नाम दर्ज कर दी गई है। उपरोक्त तीन खातों में वादी का नाम खाता संख्या 138, 139 में सहवन सत्यनारायण दर्ज कर दिया है तथा खाता संख्या 126 में लक्ष्मीनारा[illegible] दर्ज कर दिया है। यह दानों नाम घर में बोले जाने वाले वादी के ही नाम है वादी के अलावा परिवार में इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। दावा के मद नम्बर 3,4,5 में वर्णित आराजीयात पर वादी सहित सभी परिवार के सदस्य अपने हिस्से के अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है कब्जा तथा उपयोग व उपभोग सम्बन्धी कोई विवाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar S
Date: 2025.07.23 15:39:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

नही है। वादी अपने 1/5 हिस्से पर काश्त करवाता चला आ रहा है तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। वादी को रिकॉर्ड में उसका नाम सत्यनारायण व लक्ष्मीनारायण दर्ज होने का ज्ञान नहीं था परन्तु पिछले दिनों के.सी.सी की फाइल बनवाने हल्का पटवारी के पास गया तो हल्का पटवारी ने बताया कि वादी का नाम तीनों खातों में नही है बल्कि उसके स्थान पर लक्ष्मीनारायण व सत्यनारायण दर्ज कर रखा है जिससे वादी को ज्ञान हुआ। वादी का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में गलत दर्ज हो जाने से वह बैंक से लोन नही ले सकता व भूमि का विकास कार्य भी नहीं करवा सकता। वादी का असल रिकार्डेड नाम स्कूल में शिवप्रसाद शर्मा दर्ज है इसके अतिरिक्त आधार कार्ड में भी शिवप्रसाद शर्मा पुत्र जगन्नाथ शर्मा है। ग्राम पंचायत शिवाड ने भी इस आशय का प्रमाण पत्र दिनांक 05.08.2019 को कार्यालय से जारी किया है कि वादी शिवप्रसाद शर्मा पुत्र स्व0 जगन्नाथ प्रसाद के ही घर में बोलता नाम सत्यनारायण एवं लक्ष्मीनारायण है वादी को यह हक हासिल है कि वह अपने पिता की खातेदारी से उत्तराधिकार में प्राप्त हुई आराजीयात में अपना सही नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवा कर दर्ज करवावे जिसमें प्रतिवादीगण को भी काई आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि वादी 1/5 हिस्से का हकदार हैं। विनाय दावा दिनांक 06.09.2019 को पैदा हुआ जब कम्प्यूटर से नकल निकलवा कर हल्का पटवारी से आदिनांक करवाई और रेवेन्यू रिकॉर्ड में दुरूस्ती करवाना आवश्यक हुआ जिससे यह दावा करना लाजिम आया। दावा निश्चित कोर्ट फीस 4/– रूपये पर अन्दर मियाद अन्तर्गत धारा 88 टीनेन्सी एक्ट में पेश है। वादान्तर्गत भूमि ग्राम शिवाड़ तहसील चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। अतः दावा का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की डिक्री फरमाई जावे खाता संख्या 139 ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड में दर्ज भूमि खसरा न0 3778 रकबा 2.52 है0 खसरा नम्बर 3779 रकबा 0.10है0 खाता संख्या 138 में दर्ज खसरा नम्बर 3033 रकबा 2.03 है0 में वादी 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। इन दोनो खातों में सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण का नाम हजफ करवा कर वादी अपना नाम काश्तकार के रूप में दर्ज करवाने का अधिकारी है। एवं खाता संख्या 126 वाके ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ ए का वादी 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है इस खाते में से लक्ष्मीनारायण का नाम हजफ करवाकर वादी अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। साथ ही मृतक हनुमान के स्थान पर उसके वारिस प्रतिवादी संख्या 4,5,6 का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर संशोधन किया जावें। प्रतिवादी संख्या 7 को आदेश इस प्रकार फरमाये कि उपरोक्त तीनो खातों के इन्द्राज को दुरूस्त कर वादी का नाम बतौर खातेदार हिस्सा 1/5 दर्ज करे तथा खातों में से सत्यनारायण व लक्ष्मीनारायण का नाम हजफ किया जावे।

वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को [illegible] तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की ओर से श्री कपिल [illegible] शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत कर इकवालिया जवाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

वादपत्र एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकवालिया जवाब दावा एवं पत्रावली उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि लक्ष्मीनाराण उर्फ सत्यनारायण उर्फ शिवप्रसाद एक ही व्यक्ति के नाम है। जो स्व0 श्री जगन्नाथ शर्मा का पुत्र है। जिसके समर्थन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राज0 का वर्ष 1964 का प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड, राशन कार्ड व ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar S
Date: 2025.07.23 15:39:19 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
चौथ का बरवाड़ा

शिवाड़ द्वारा जारी किया गया प्रमाण –पत्र के आधार पर वादी का नाम शिवप्रसाद पुत्र जगन्नाथ प्रमाणित है। इसलिये ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड बी खाता संख्या 139 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 3778 रकबा 2.52 है0 व 3779 रकबा 0.10 है0 एवं खाता संख्या 138 में दर्ज खसरा नम्बर 3033 रकबा 2.03 है0 में वादी के नाम सत्यनारायण को हजफ किया जाकर शिवप्रसाद शर्मा एवं ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ ए के खाता संख्या 126 के खसरा नम्बर 3041 रकबा 1.03 है0 में दर्ज लक्ष्मीनारायण के स्थान पर वादी का नाम शिवप्रसाद शर्मा दर्ज किया जाना न्यायोचित है। जिसकी पुष्टि प्रतिवादीगण 1 लगायत 6 के द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा से भी होती है। साथ ही खाता संख्या 126 के खसरा नम्बर 3041 रकबा 1.03है0 वाके ग्राम शिवाड़ पटवार हल्का शिवाड़ ए में हनुमान पुत्र जगन्नाथ जिसकी मृत्यु हो चुकी है के वारिसान प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 6 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाना न्यायोचित है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी शिवप्रसाद शर्मा को खाता संख्या 139, 138 के हिस्से 1/5 का एवं खाता संख्या 126 के हिस्से 1/5 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। खाता संख्या 138,139 में सत्यनारायण पुत्र जगन्नाथ एवं खाता संख्या 126 में लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर शिवप्रसाद पुत्र जगन्नाथ राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने के ओदश प्रदान किये जाते हैं। इसके साथ खाता संख्या 126 में हनुमान के स्थान पर विमला पत्नि हनुमान, राधा,सन्तोष पुत्रीयान प्रत्येक का राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/15 अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री जारी की जावे ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(उपेन्द्र कुमार शर्मा)
उप जिला कलक्टर
चौथ का बरवाड़ा

उप जिला कलक्टर
चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Si
Date: 2025.07.23 15:39:19 IST
Reason: SelfAttested